

न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य  
न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड, जिला बड़वानी (म0प्र0)

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 564 / 2008  
संस्थान दिनांक 16.12.2008

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र, ठीकरी  
जिला-बड़वानी म0प्र0

-----अभियोगी

विरुद्ध

रणजीत पिता सुकिया पाटील, आयु 35 वर्ष,  
निवासी-राजपुर, थाना राजपुर,  
जिला-बड़वानी म.प्र.

-----अभियुक्त

// निर्णय //

(आज दिनांक 20.07.2015 को घोषित)

1. पुलिस थाना ठीकरी द्वारा अपराध क्रमांक 249 / 2008 अंतर्गत 279, 337, 338, 304-ए भा.द.सं. में दिनांक 16.12.2008 को प्रस्तुत अभियोग पत्र के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 16.09.2008 को दिन में लगभग 9:00 बजे, (टाईपिंग त्रुटि से अपराध की विशिष्टियों में समय 9:00 बजे के स्थान पर 1:00 बजे टंकित हो गया है, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना का समय 9:00 बजे लिखा है) ए.बी. रोड़ सेगवाल फाटे के आगे लोक मार्ग पर वाहन क्रमांक एम.पी. 09 8774 (ट्रेक्स गामा) को उपेक्षापूर्ण ढंग से अथवा उतावलेपन से चलाकर एक पेड़ में टक्कर मारकर उसमें सवार फरियादीगण का मानवजीवन संकटापन्न करने, उक्त वाहन में सवार भारत, कुतुबुद्दीन, राजकमल, बसंती, जतन को उपहृतियों कारित करने, उक्त वाहन में सवार नर्मदाशंकर, ईश्वर व आशीष को घोर उपहृतियों कारित करने तथा रमेश व स्वपनेश की ऐसी मृत्यु कारित होने, जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती है, के संबंध में अभियुक्त पर धारा 279, 337, 338, 304-ए भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध विचारणीय है।

2. प्रकरण में उल्लेखनीय महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य यह है कि पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया था। यह तथ्य भी स्वीकृत है कि पुलिस ने अभियुक्त की चालन अनुज्ञप्ति जप्त की थी।

3. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि घटना दिनांक 16.09.2008 को फरियादी कुतुबुद्दीन, नर्मदाशंकर, भारत, ईश्वर, बसंतीलाल, स्वपनेश, राजकमल, जनसिंह, आशीष, शंकर, रमेश राजपुर बस स्टेण्ड से ट्रेक्स गामा वाहन क्रमांक एम.पी. 09 एस. 8774 में बैठकर इन्दौर जा रहे थे। उक्त वाहन को चालक रंजित चला रहा था। वाहन चालक वाहन को तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर ला रहा था व सेगवाल फाटे से आगे वाहन को एक पेड़ से टक्कर मारी जिससे फरियादी कुतुबुद्दीन को दाये हाथ की कोहनी तथा बदन पर चोटें आई थी तथा वाहन में बैठी अन्य सवारियों को भी चोटें आई थी तथा वाहन का भी नुकसान हुआ था। फरियादी सभी को लेकर चिकित्सा हेतु गया तथा चिकित्सा के दौरान रमेश एवं स्वपनेश की आई चोटों से मृत्यु हो गई। फरियादी कुतुबुद्दीन द्वारा दी गई घटना की सूचना के आधार पर अभियुक्त वाहन ट्रेक्स गामा क्रमांक एम.पी. 09 एस. 8774 के चालक रंजित के विरुद्ध अपराध क्रमांक 249/2008 अंतर्गत धारा 279, 337, 338, 304—ए भा.द.सं. में प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्शपी 1 लेखबद्ध की तथा अभियुक्त के विरुद्ध संपूर्ण अनुसंधान उपरांत प्रश्नगत अभियोग—पत्र अंतर्गत न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया

4. अभियोगपत्र के आधार पर मेरे पूर्व के योग्य पीठासीन अधिकारी श्री महेश कुमार सैनी, तत्कालीन न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, अंजड़ द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध धारा 279, 337, 338, 304—ए भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध विवरण विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 दं.प्र.सं. के परीक्षण में अभियुक्त ने स्वयं का निर्दोष होना व्यक्त किया है

5. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है कि —

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 16.09.2008 को दिन में लगभग 1:00 बजे, ए.बी. रोड़ सेगवाल फाटे के आगे लोक मार्ग पर वाहन क्रमांक एम.पी. 09 8774 (ट्रेक्स गामा) को उपेक्षापूर्ण ढंग से अथवा उतावलेपन से चलाकर एक पेड़ में टक्कर मारकर उसमें सवार फरियादीगण का मानवजीवन संकटापन्न किया ?

2. क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उपेक्षापूर्ण ढंग से अथवा उतावलेपन चलाकर पेड़ से टक्कर मारकर उसमें सवार भारत, कुतुबुद्दीन, राजकमल, बसंती, जतन को उपहतियों कारित की ?

3. क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उपेक्षापूर्ण ढंग से अथवा उतावलेपन से चलाकर पेड़ से टक्कर मारकर उसमें सवार नर्मदाशंकर, ईश्वर व आशीष को घोर उपहतियों कारित की ?

4. क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उपेक्षापूर्ण ढंग से अथवा उतावलेपन से चलाकर पेड़ से टक्कर मारकर उसमें सवार रमेश व स्वपनेश की ऐसी मृत्यु कारित की, जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती है ?

यदि हाँ, तो उचित दण्डाज्ञा ?

6. अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में साक्षी कुतुबुद्दीन (अ.सा.1), ईश्वरलाल गुप्ता (अ.सा.2), नर्मदाशंकर (अ.सा.3), आशीष (अ.सा.4), भरत (अ.सा.5), बसंतीलाल (अ.सा.6), जतन (अ.सा.7), प्रधान आरक्षक शुभनारायण मिश्रा (अ.सा.8), डॉ.अमित नाईक (अ.सा.9), राधेश्याम (अ.सा.10), घनश्याम सोलंकी (अ.सा.11), सीताराम (अ.सा.12), सोहन (अ.सा.13), हरसिंग (अ.सा. 14) एवं हीरालाल (अ.सा.15) के कथन कराये गये हैं, जबकि अभियुक्त की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में किसी साक्षी के कथन नहीं कराये गये हैं।

**साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार**  
**विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1, 2, 3 और 4 के संबंध में**

7. प्रकरण में आई साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए उक्त चारों विचारणीय प्रश्न परस्पर सहसंबंधित होने से उक्त चारों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। इस संबंध में फरियादी कुतुबुद्दीन अ.सा 1 का कथन है कि ढेड़ वर्ष पूर्व वह तथा उसके साथ नर्मदाशंकर, ईश्वर, जतन, बंसती, इन्दौर जा रहे थे, कुल 9 व्यक्ति वाहन में राजपुर से बैठे थे वाहन का नम्बर उसे याद नहीं है। वाहन को विनोद चालक निवासी, राजपुर का चला रहा था। वाहन की ठीकरी के पूर्व खुरमपुरा के पास दुर्घटना हो गई थी। वाहन सड़क से उतरकर झाड़ से टकरा गई थी। उस समय वाहन बहुत तेज गति से चल रही थी, उसे सिर एवं पीठ में चोंटें आई थी। नर्मदाशंकर को सीने में लगी थी, उसकी हड्डी में अस्थिभंग हुआ था। शिवई गाँव के एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। चालक को भी चोंट आई थी तथा बैठे हुए अन्य व्यक्तियों को भी चोंटें आई थी तथा वाहन का भी नुकसान हुआ था। उन्हें ईलाज के लिए ठीकरी अस्पताल ले गये थे। चिकित्सक ने उसकी चोंटें देखी उसके बाद उसने थाना ठीकरी पर जाकर रिपोर्ट लिखाई थी जो प्रदर्शपी 1 है जिसके ए से ए एवं बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी का कथन है कि वह ट्रेक्स के चालक को जानता है और वह उसे देखकर पहचान सकता है, लेकिन साक्षी ने अभियुक्त को देखकर बताया कि अभियुक्त ट्रेक्स का चालक नहीं था। पुलिस ने मृतक रमेश पिता सुरसिंह की लाश का पंचायतनामा बनाया था। प्रदर्शपी 3 लगायत 5 पर साक्षी ने अपने हस्ताक्षर ए से ए भाग पर स्वीकार किये हैं, लेकिन नक्शा मौका पंचनामा अपने सामने बनाने से इंकार किया है। साक्षी ने पुलिस कथन प्रदर्शपी 6 में ट्रेक्स वाहन का क्रमांक एम.पी. 09 एस. 8774 बताने से इंकार किया है, लेकिन साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने बयान देते समय वाहन चालक का नाम रंजित बताया था।

8. बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि राजपुर में कम से कम 250 से 300 लोग चालक का कार्य करते हैं और रंजित नाम के 4-5 चालक हैं। साक्षी ने स्वीकार किया कि दुर्घटना के बाद पुलिस ने जो लिखा था उसे उसने पढ़ा नहीं था।

9. ईश्वरलाल असा 2, नर्मदा शंकर, असा 3, आशीष असा 4, भरत असा 5, बसंतीलाल असा 6, जतन असा 7 ने भी ट्रेक्स में बैठने और उसमें दुर्घटना होने के संबंध में कथन किये हैं। उक्त साक्षियों का यह भी कथन है कि दुर्घटना में उन्हें चोट आई थी और वाहन का भी नुकसान हुआ था। ईश्वरलाल गुप्ता असा 2 का कथन है कि उक्त वाहन को रंजित चला रहा था। साक्षी ने पुलिस कथन प्रदर्शपी 2 में वाहन का क्रमांक एम.पी. 09 एस 8774 बताने से इंकार किया है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि वह माह में एक-दो बार खरीददारी करने के लिए इन्दौर जाता है, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि इन्दौर जाने वाली वाहन तेजी से चलती है। साक्षी ने स्पष्ट किया कि उस दिन वाहन अतिरिक्त तेजी से चल रही थी और आगे बैठे हुए व्यक्तियों ने वाहन को धीरे चलाने का दो-तीन बार कहा था। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसे लोगों ने बताया था कि वाहन रंजित चला रहा था उसने पुलिस को प्रदर्शपी 2 में अभियुक्त का नाम नहीं बताया था। साक्षी ने स्वीकार किया कि वह वाहन में पीछे बैठा था और झपकी ले रहा था तथा नींद लगने से वह नहीं बता सकता है कि घटना के समय वाहन तेजी से चल रही थी। साक्षी ने स्वीकार किया कि हो सकता है कि उस समय वाहन की गति धीमी हो। साक्षी ने अपने भतीजे स्वपनेश की मृत्यु होना भी बताया है। नर्मदाशंकर असा 3 ने कथन किया कि उक्त वाहन का चालक रंजित था तथा वह वाहन को तेजी से चला रहा था तो उसने तेजी से चलाने का मना किया तो भी वह वाहन को तेजी से चलाता रहा और ओव्हरटेक करने में वाहन को नीम के पेड़ से ठोक दी थी और उसके पश्चात् वह बेहोश हो गया था। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि घटना के समय वाहन के पीछे ट्रेक्स चल रही थी, जिसके चालक ने ओव्हरटेक करके आगे निकलने की कोशिश की थी और सामने से भी वाहन आया जिसे बचाने के प्रयास करने में वाहन पेड़ से टकरा गई। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसे घटना के बाद लोगों ने अभियुक्त का नाम बताया है। साक्षी ने स्पष्ट किया कि वह अभियुक्त को पहले से जानता है तथा ट्रेक्स में बैठा तब से और जब घटना हुई जब से वही अभियुक्त वाहन चला रहा था। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि घटना के समय वाहन धीमी गति से चल रही थी। आशीष असा 4 ने भी न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त की पहचान घटना के समय वाहन चलाने वाले चालक के रूप में की है। साक्षी का यह भी कथन है कि राजपुर से वाहन रवाना हुई उसके बाद बरूफाटक एवं ठीकरी के मध्य ट्रेक्स के चालक ने एक ट्रक को ओव्हरटेक किया था और वापस वाहन को मोड़ना चाहा तो स्टेयरिंग नहीं हिला और वाहन सड़क के किनारे एक पेड़ से जाकर टकरा गई उस समय वाहन तेज गति से चल रही

थी और उसे पसली में चोट आई और टूट गई। उसे ठीकरी अस्पताल में चिकित्सक ने देखा था और उसके बाद इन्दौर सकुंतलाबाई अस्पताल ले गये और वहाँ ईलाज हुआ था। दुर्घटना में नर्मदाशंकर के हाथ में अस्थि भंग हुआ था और दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी, लेकिन साक्षी ने पुलिस को ट्रेक्स का क्रमांक एम.पी. 09 एस. 8774 बताने से इंकार किया है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि वह राजपुर, सेंधवा हमेशा ट्रेक्स से जाता है और सभी वाहन उस गति से चलती है जिस दिन ट्रेक्स चल रही थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि यदि वाहन का स्टेयरिंग वापस घुम जाता तो दुर्घटना नहीं होती। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि वह जब वाहन में बैठा था तो उसने वाहन का क्रमांक नहीं देखा था, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने वाहन चलाने वाले वालक को नहीं देखा था या अभियुक्त वाहन नहीं चला रहा था। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि वह असत्य कथन कर रहा है।

10. भरत असा 5 का भी कथन है कि 16.09.2008 को वह और उसके पिता राजपुर से इन्दौर जा रहे थे कि ट्रेक्स वाहन में स्वपेनश एवं आशीष भी बैठे हुए थे। वाहन रंजित चला रहा था जिसको वह जानता है। ठीकरी के लगभग एक-ढेड़ किलोमीटर पूर्व ट्रक को ओव्हरटेक करने में ट्रेक्स घुम गई और सड़क से उतर कर एक पेड़ से टकरा गई, उस समय वाहन तेज गति से चल रही थी और उसके बाद वह बेहोश हो गया था उसके सिर में चोट आई थी फिर उसे ईलाज के लिए ठीकरी अस्पताल ले जाया गया। उसके पिता के गले की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया था तथा वाहन में बैठे अन्य व्यक्तियों को भी चोटें आई थी। वाहन चालक वाहन से कूद गया था। मौके पर एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी और स्वपेनश की रास्ते में मृत्यु हो गई थी। साक्षी का स्पष्ट कथन है कि घटना के समय वाहन तेज गति से चल रही थी। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि पुलिस ने उसके बयान लिये थे उनके सामने लिखा-पढ़ी हुई थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि उसे पुलिस को वाहन का क्रमांक नहीं बताया था और यह भी नहीं बताया था कि ट्रेक्स चालक रंजित को भी चोटें आई थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि उसने पुलिस को वाहन चालक द्वारा वाहन को लापरवाही से चलाते हुए पेड़ में टक्कर मारने की बात भी नहीं बताई थी, लेकिन पुलिस ने प्रदर्शनी 1 के कथन में उक्त बातें कैसे लिखी वह नहीं बता सकता। साक्षी ने स्वीकार किया कि ए.बी. रोड पर सभी वाहन तेज गति से चलते हैं और यदि स्टेयरिंग फेल होने के कारण दुर्घटना हुई हो तो वह नहीं बता सकता है, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि अभियुक्त वाहन नहीं चला रहा था या वह अभियुक्त का नाम गलत तरीके से बता रहा है अथवा वह उस वाहन में नहीं बैठा था।

11. बसंतीलाल असा 6 ने भी ट्रेक्स वाहन में बैठकर राजपुर से इन्दौर जाने और वाहन की दुर्घटना होने के संबंध में कथन किये हैं। साक्षी का यह भी कथन है कि वह वाहन में सोया हुआ था। दुर्घटना होने के बाद उसे ठीकरी अस्पताल में होश आया था। दुर्घटना किस वाहन से तथा कैसे हुई उसे नहीं पता है। ट्रेक्स चालक को नहीं पहचानता है। उसे पैर में हल्की मोच आई थी। साक्षी ने पुलिस को प्रदर्शपी 3 का कथन देने से भी इंकार किया है। जतन असा 7 ने ट्रेक्स वाहन का दुर्घटना होने के संबंध में कथन किये हैं। साक्षी का यह भी कथन है कि वाहन तेज गति से नहीं चल रही थी। वाहन कौन चला रहा था उसे नहीं मालूम। वाहन का चालक को देखकर भी नहीं पहचान सकता है। उसे सिर में चोट आई थी तथा अन्य व्यक्तियों को भी चारेंटे आई थी। इस साक्षी ने वाहन का क्रमांक नहीं मालूम होना बताया है। इस साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने अभियोजन के समस्त सुझावों से स्पष्ट इंकार किया है लेकिन साक्षी ने स्वीकार किया कि उक्त वाहन को अभियुक्त चला रहा था। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने अभियुक्त का नाम अधिवक्ता के कहने से बताया है उसे अभियुक्त का नाम नहीं मालूम। साक्षी ने स्वीकार किया कि वाहन धीमी गति से चल रही थी और वाहन में टूट-फूट होने के कारण दुर्घटना हुई हो तो वह नहीं बता सकता है। साक्षी ने पुलिस को प्रदर्शपी 2 के ए से ए भाग का कथन देने से भी इंकार किया है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि घटना के दिन यदि अन्य कोई व्यक्ति वाहन चला रहा हो तो भी वह नहीं बता सकता है।

12. राधेश्याम असा 10 , घनश्याम असा 11 ने केवल प्रदर्शपी 10, 12 एवं 13 पर अपने हस्ताक्षर होने के संबंध में कथन किये हैं। सोहन असा 13, हरसिंग असा 14 और हीरालाल असा 15 दुर्घटना में रमेश की मृत्यु होने एवं उसके शव का पंचातयनामा प्रदर्शपी 3 व 4 पुलिस द्वारा बनाने और उस पर अपने हस्ताक्षर होने के संबंध में कथन किये हैं।

13. डॉ. अमित नाईक असा 9 ने दिनांक 16.09.2008 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, ठीकरी में थाना ठीकरी के प्रधान आरक्षक एस.सी.मिश्रा द्वारा लाने पर आहत भारत पिता नर्मदाशंकर, नर्मदाशंकर पिता गोपाल मोरे, कुतुबुद्दीन पिता सज्जाद शेख, राजकमल पिता नंदकिशोर, बसंतीलाल पिता सालकराम, जतनसिंह पिता खुमानसिंह, स्वपनेश पिता नत्थुलाल, ईश्वर पिता रामनारायण, आशीष पिता काशीराम का मेडिकल परीक्षण करने पर उन्हें सख्त अथवा बोथरी वस्तु से 6 घंटे के भीतर चोटें आने के संबंध में साक्ष्य दी है। साक्षी ने मेडिकल परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्शपी 14 से 22 तक प्रमाणित किये हैं। इस साक्षी ने आहत नर्मदाशंकर के कंधे की हड्डी, आहत ईश्वर पिता रामनारायण को गर्दन की चोट तथा आशीष पिता काशीराम को छाती और पीठ की चोटों के संबंध में एक्सरे परीक्षण के लिए जिला चिकित्सालय बड़वानी भेजने एवं स्वपनेश को आई चोटों के लिए एक्सरे परीक्षण एवं सोनोग्राफी हेतु एम.व्हाय. अस्पताल इन्दौर भेजने के संबंध में भी साक्ष्य दी है। इस साक्षी ने उसी दिनांक को मृत रमेश

पिता सुरसिंग के शव का परीक्षण करने पर उसके दोनो जबड़े और दाहिनी भुजा तथा पसलियों में अस्थि भंग होना पाया था तथा मृत्यु का कारण उसके मस्तिष्क में आई चोटों के कारण हुई थी। इस साक्षी ने मृतक स्वपनेश पिता नत्थुलाल के शव का परीक्षण करने पर उसकी मृत्यु दोनों फेफड़ों में चोट लगने एवं अत्यधिक रक्त बहने से होना बताई है तथा मृत्यु का समय परीक्षण के 24 घंटे के भीतर आना बताई है तथा शव परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्शपी 23 एवं 24 भी प्रमाणित किये हैं। उक्त साक्षी डॉ. अमित नाईक को बचाव पक्ष की ओर से कोई प्रतिपरीक्षण नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में मृत स्वपनेश एवं रमेश की मृत्यु तथा आहत व्यक्तियों को आई चोटें आना प्रमाणित होती है।

14. शुभनारायण मिश्रा असा 8 का कथन है कि दिनांक 16.09.2008 को उसने थाना ठीकरी के अपराध क्रमांक 249/08 की विवेचना के दौरान घायल भारत, नर्मदाशंकर, कुतुबुद्दीन, राजकमलबाई, कांतिलाल, जतन, स्वपनेश ईश्वर व आशीष को मेडिकल परीक्षण हेतु भेजा था। उसने कुतुबुद्दीन के बताये अनुसार नक्शा मौका पंचनामा प्रदर्शपी 5 का बनाया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने घटनास्थल से ट्रेक्स गामा वाहन क्रमांक एम.पी 09 एस. 8774 को प्रदर्शपी 7 के अनुसार जप्त किया था। उसने साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे तथा मृत रमेश और स्वपनेश की लाश का पंचायतनामा प्रदर्शपी 3, 4, 8 व 9 बनाये थे जिन पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने दिनांक 21.09.2008 को सीताराम के पेश करने पर ट्रेक्स गामा के दस्तावेज प्रदर्शपी 10 के अनुसार जप्त किये थे जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी का यह भी कथन है कि उसने अभियुक्त को गिरफ्तार किया था। उसने अभियुक्त के पेश करने पर चालन अनुज्ञप्ति जप्त की थी। उसने सीताराम वाहन मालिक के बताने पर वाहन का नुकसानी पंचनामा प्रदर्शपी 13 का बनाया था और जप्त वाहन का मेकेनिकल परीक्षण करवाया था।

15. बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि लाश पंचायतनामा प्रदर्शपी 9 में यह उल्लेख नहीं है कि स्वपनेश की मृत्यु कहा हुई थी। साक्षी ने स्पष्ट किया कि जब उसने स्वपनेश का मेडिकल फार्म जारी किया था उस समय स्वपनेश बोलने की स्थिति में था और उसने कथन भी दिया था, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि कुतुबुद्दीन ने उसे चालक का नाम एवं वाहन का क्रमांक नहीं बताया था। साक्षी ने इस सुझाव से भी इंकार किया कि साक्षियों ने उसे तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाने की बात नहीं बताई थी या साक्षियों ने वाहन का स्टेयरिंग फेल होने से दुर्घटना होना बताया था। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि अभियुक्त रंजित वाहन नहीं चला रहा था, उसने अभियुक्त के विरुद्ध असत्य मामला बनाया है, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि मेकेनिकल जॉच रिपोर्ट में वाहन का स्टेयरिंग खराब होना बताया गया है।

16. सीताराम असा 12 का कथन है कि उसकी ट्रेक्स गामा क्रमांक एम.पी. 09 एस. 8774 का लगभग 4 वर्ष पूर्व दुर्घटना होने से पुलिस ने उसके वाहन को जप्त किया था तथा नुकसानी पंचनमा प्रदर्शपी 13 का बनाया था। साक्षी का यह भी कथन है कि उसका वाहन राजपुर से इन्दौर जा रहा था, तब उसे शाम को उसके वाहन की दुर्घटना होने की सूचना मिली थी, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि घटना दिनांक को उसके वाहन पर उसने अभियुक्त को चालक के रूप में भेजा था। यहाँ तक कि साक्षी ने पुलिस को प्रदर्शपी 14 के कथन में भी ए से ए भाग बताने से स्पष्ट इंकार किया है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि पुलिस ने जिन दस्तावेजों पर उससे हस्ताक्षर करवाये थे उसे पढ़कर नहीं बताये थे और उसने पढ़े भी नहीं थे।

17. राजेन्द्र असा 16 एवं आशीष असा 17 ने स्वपनेश की मृत्यु का पंचनामा प्रदर्शपी 8 व 9 पुलिस द्वारा बनाने और उनपर अपने हस्ताक्षर होने के संबंध में कथन किये हैं। साक्षी ने प्रदर्शपी 8 व 9 पर अपने हस्ताक्षर ठीकरी अस्पताल में करना बताया है।

18. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि रिपोर्ट कर्ता कुतुबुद्दीन असा 1 ने न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त की पहचान घटना के समय वाहन चालक के रूप में नहीं की है तथा सभी साक्षियों ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि राजपुर से इन्दौर जाने के मार्ग पर वाहन तेज गति से चलते हैं। यहाँ तक कि वाहन मालिक सीताराम असा 12 ने भी घटना के समय अभियुक्त द्वारा वाहन चलाने से स्पष्ट रूप से इंकार किया है। ऐसी स्थिति में अभियोजन कथा शंकास्पद हो जाती है। उनका यह भी तर्क है कि शुभनारयण मिश्रा असा 8 ने वाहन की मेकेनिकल जॉच रिपोर्ट एवं वाहन का स्टेयरिंग फेल होने की बात लिखी होना स्वीकार किया है। उनका यह भी तर्क है कि घटना के समय अभियुक्त उक्त वाहन नहीं चला रहा था।

19. यह सही है कि कुतुबुद्दीन असा 1 ने अभियुक्त की पहचान वाहन चलाने वाले व्यक्ति के रूप में नहीं की है और साक्षियों ने न्यायालय कथन के दौरान जिस वाहन से वे यात्रा कर रहे थे उसका क्रमांक भी नहीं बताया था और पुलिस को भी अपने कथन में उक्त क्रमांक बताने से भी इंकार किया है, लेकिन कुतुबुद्दीन असा 1 का स्पष्ट कथन है कि वाहन बहुत तेज गति से चल रही थी, इसलिए वाहन सड़क से उतर कर एक पेड़ से टकरा गई थी। साक्षी ने वाहन का क्रमांक याद होने से इंकार किया है, लेकिन प्रदर्शपी 1 की रिपोर्ट में साक्षी द्वारा वाहन का क्रमांक लिखाया गया है जिसका कोई भी खण्डन बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में नहीं हुआ है। साक्षी ने पुलिस को कथन देते समय वाहन के चालक का नाम रंजित होना बताया है। ईश्वर लाल गुप्ता असा 2, नर्मदाशंकर असा 3, आशीष असा 4, भरत असा 5 ने अभियुक्त द्वारा घटना के समय ट्रेक्स वाहन तेज गति से चलाने और वाहन के



सड़क से नीचे उतरकर पेड़ से टकराने के संबंध में स्पष्ट कथन किये हैं जिसका कोई भी खण्डन बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में नहीं हुआ है। यद्यपि उक्त साक्षियों ने पुलिस कथन में वाहन का क्रमांक बताने से इंकार किया है, लेकिन ईश्वरलाल असा 2 ने स्पष्ट किया है कि पुलिस मौके पर आ गई थी। पुलिस ने क्रमांक लिख लिया होगा। इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्पष्ट किया कि उस दिन वाहन अत्यधिक तेज गति से चल रही थी तथा आगे बैठे व्यक्तियों ने वाहन धीरे चलाने को कहा था। इस संबंध में नर्मदाशंकर असा 3 ने भी वही कथन किया है। उक्त साक्षी का यह भी कथन है कि चालक को वह पहले से ही जानता है। आशीष असा 4 ने न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त की पहचान दुर्घटनाग्रस्त वाहन को चालने वाले व्यक्ति के रूप में की है। भरत असा 5 ने भी स्पष्ट किया है कि वाहन रंजित चला रहा था, जिसको वह जानता है। साक्षी का स्पष्ट कथन है कि घटना के समय वाहन तेज गति से चल रही थी। यद्यपि उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया कि आगरा-मुम्बई मार्ग पर सभी वाहन तेज गति से चलते हैं और यदि स्टेयरिंग फेल होने के बाद दुर्घटना हुई हो तो वह नहीं बता सकता है।

20. सीताराम असा 12 ने यद्यपि अभियुक्त द्वारा घटना दिनांक को उसका वाहन चलाने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं, लेकिन साक्षी ने यह कथन किया है कि घटना दिनांक को उसका वाहन राजपुर से इन्दौर जा रहा था और उसके वाहन की दुर्घटना की सूचना प्राप्त हुई थी, तब पुलिस ने उसका वाहन क्रमांक एम.पी. 09 एस. 8774 जप्त किया था। शुभनारायण मिश्रा असा 8 ने इसी वाहन को दुर्घटनाग्रस्त हालत में घटनास्थल से जप्त किया है और घायलों का मेडिकल परीक्षण करवाया है तथा सीताराम असा 12 के बताने से वाहन का नुकसानी पंचनामा प्रदर्शपी 13 का बनाया था जिसकी सत्यता से अभियुक्त ने इंकार नहीं किया है। ऐसी स्थिति में सीताराम असा 12 के कथन से यह प्रमाणित होता है कि घटना दिनांक को उक्त वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ था जिसे शुभनारायण मिश्रा असा 8 ने घटनास्थल ए.बी. रोड़ ठीकरी से जप्त किया था तथा सीताराम चौहान ने वाहन के दस्तावेज पुलिस को जप्त कराये थे। परीक्षित सभी साक्षियों ने अभियुक्त द्वारा घटना दिनांक को तेज गति से वाहन चलाने के संबंध में स्पष्ट कथन किये हैं, जिसका कोई भी खण्डन बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में नहीं हुआ है। अभियुक्त के अधिवक्ता ने यद्यपि तर्क के दौरान वाहन का स्टेयरिंग फेल होने से दुर्घटना होना बताया है, लेकिन बचाव पक्ष की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है, जिससे यह प्रमाणित हो कि दुर्घटना के पूर्व से ही उक्त वाहन का स्टेयरिंग खराब था। यदि तर्क के लिए यह मान भी लिया जाये कि उक्त वाहन का स्टेयरिंग खराब था तो ऐसी स्थिति में स्टेयरिंग खराब होने से वाहन चलाना संभव ही नहीं था। ऐसी स्थिति में यह उपधारणा की जा सकती है कि वाहन का स्टेयरिंग दुर्घटना होने के बाद खराब हुआ है और वाहन में आई टूट-फूट भी दुर्घटना होने के बाद हुई है।

21. इस प्रकार अभियोजन की साक्ष्य एवं प्रस्तुत दस्तावेजों से यह प्रमाणित होता है कि घटना दिनांक 16.09.2008 को प्रातः 9 बजे ए.बी. रोड़ सेगवाल फाटे के आगे लोक मार्ग पर अभियुक्त ने वाहन क्रमांक एम.पी. 09 एस. 8774 ट्रेक्स गामा को तेज गति से उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाकर एक पेड़ पर टक्कर मारकर उसमें बैठे व्यक्तियों का जीवन संकटापन्न किया तथा आहत भारत, कुतुबुद्दीन, राजकमल, जतन, नर्मदाशंकर, ईश्वर, बसंतीलाल और आशीष को उपहति कारित की तथा उसमें सवार रमेश और स्वपनेश की मृत्यु ऐसी परिस्थितियों में कारित की जो आपराधिक मावन वध की कोटि में नहीं आती है। अभियुक्त का उक्त कृत्य भा.द.स. की धारा 279, 337, 304—ए का अपराध है जो अभियोजन प्रमाणित करने में पूर्णतः सफल रहा है। अतः यह न्यायालय अभियुक्त रंजित पिता सुकिया को भा.द.स. की धारा 279, 337 (8 शीर्ष), तथा भा.द.स. की धारा 304—ए (2 शीर्ष) के अपराध में दोषसिद्ध घोषित करता है।

22. अभियुक्त के विरुद्ध आहत ईश्वर पिता रामनारायण और आशीष पिता काशीराम के विरुद्ध किये गये अपराधों के लिए भा.द.स. की धारा 338 का भी अभियोग है, लेकिन अभियोजन की ओर से उक्त आहत व्यक्तियों को इस दुर्घटना में घोर उपहति कारित होने के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त के विरुद्ध भा.द.स. की धारा 338 का अपराध प्रमाणित नहीं होता है। अतः भा.द.स. की धारा 338 के अपराध के लिए अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाता है।

23. प्रकरण की परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति को देखते हुए अभियुक्त रणजीत को परीविक्षा पर रिहा करना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः सजा के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय लेखन स्थगित किया जाता है।

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)  
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
अंजड़, जिला—बड़वानी, म0प्र0

**पुनश्च :-**

24. सजा के प्रश्न पर पर अभियुक्त और उसके अधिवक्ता को सुना गया। अभियुक्त कम आयु का नवयुवक है तथा विचारण का लंबे समय से सामना कर रहा है। अतः सहानुभूतिपूर्वक विचार करके न्यूनतम दण्डादेश से दण्डित किया जाये।

25. यह सही है कि अभियुक्त ने विचारण का नियमित रूप से सामना किया है। तथा घटना के समय वह लगभग 25-26 वर्ष का नवयुवक था, लेकिन अभियुक्त ने जिस तरह से लोक मार्ग पर तेज गति से वाहन चलाकर उसमें सवार व्यक्तियों को उपहति तथा दो व्यक्तियों की मृत्यु कारित की। इस कारण अभियुक्त को न्यूनतम दण्डादेश से दण्डित करना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः न्यायालय अभियुक्त रंजित को भा.द.स. की धारा 337 (8 शीर्ष) में दोषसिद्ध ठहराते हुए न्यायालय उठने तक के कारावास एवं रुपये 200-200 (8 शीर्ष) इस प्रकार कुल 1600/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित करता है तथा भा.द.स. की धारा 304-ए (2 शीर्ष) के अपराध में दोषसिद्ध ठहराते हुए 1-1 वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित करता है। उक्त दोनों सजाएँ साथ-साथ चलेगी। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर अभियुक्त 7-7 दिवस का साधारण कारावास पृथक से भुगतेगा। चूँकि भा.द.स. की धारा 279 का अपराध 337 में समाहित है, इसलिए भा.द.स. की धारा 279 के लिए पृथक से दण्डित नहीं किया जा रहा है। अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

26. अभियुक्त के अभिरक्षा में रहने के संबंध में द.प्र.सं. की धारा 428 के प्रमाण पत्र बनाया जाये।

27. निर्णय की एक प्रति अभियुक्त को अविलंब निःशुल्क दी जाये।

28. प्रकरण में जप्तशुदा वाहन ट्रेक्स गामा क्रमांक एम.पी. 09 8774 दिनांक 26.09.2008 को उसके पंजीकृत स्वामी सीताराम पिता पराग, निवासी-बनिहर, थाना सेंधवा जिला बड़वानी म.प्र. को सुपुर्दगीनामे पर दी गई। उक्त सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात अपील न होने की दशा में स्वतः निरस्त समझा जाये। अपील होने की दशा में उक्त जप्तशुदा संपत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित  
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)  
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
अंजड़, जिला बड़वानी

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)  
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
अंजड़, जिला बड़वानी



**न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य  
न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़, जिला बड़वानी (म0प्र0)**

// धारा 428 दं.प्र.सं. के अंतर्गत //

मैं श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़, जिला-बड़वानी म0प्र0 आपराधिक प्रकरण क्रमांक 564/2008 (शासन पुलिस ठीकरी विरुद्ध रणजीत) में अभियुक्त की निरोध अवधि का प्रमाण पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत करता हूँ-

अभियुक्त का नाम :- रणजीत पिता सुकिया पाटील, आयु 35 वर्ष,  
निवासी-राजपुर, थाना राजपुर,  
जिला-बड़वानी म.प्र.

गिरफ्तारी का दिनांक :- 23.10.2008

पुलिस रिमाण्ड की दिनांक :- निरंक

न्यायिक अभिरक्षा में अभियुक्त ने निरंक दिवस बिताये है।

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)  
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
अंजड़, जिला-बड़वानी, म0प्र0